UPJS010009942020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

CNR NO- UPJS01-007426-2019

विशेष परीक्षण संख्या- १६५/ २०२०

सरकार बनाम मानसिंह यादव

धारा- १३५ भारतीय विद्युत अधिनियम,
थाना- सीपरी बाजार, जिला झांसी
मु०अ०सं०- ३४०/ २०१९

आरोप

मैं, **धीरेन्द्र कुमार- तृतीय**, विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) / अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी, आप अभियुक्त **मानसिंह यादव** पर निम्न आरोप लगाता हूं-

१. यह कि दिनांक- १०. ०७. २०१९ को समय लगभग ०२. ४५ बजे वहद स्थान बंधा पाल कॉलोनी थाना सीपरी बाजार, जिला झांसी में विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा विद्युत चैकिंग के दौरान आपके द्वारा बिना संयोजन से केबिल घर पीछे से जोड़कर अपने परिसर में विद्युत का अवैध रूप से उपयोग करते पाये गये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है, जो धारा १३५ भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक- १९. ०१. २०२३

(धीरेन्द्र कुमार- तृतीय)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

उपरोक्त आरोप को अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया, उसने लगाये गये आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक- १३. ०१. २०२३

(धीरेन्द्र कुमार- तृतीय)
विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम) /
अपर सत्र न्यायाधीश, झांसी।

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR
Date: 2023.01.19 16:49:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court